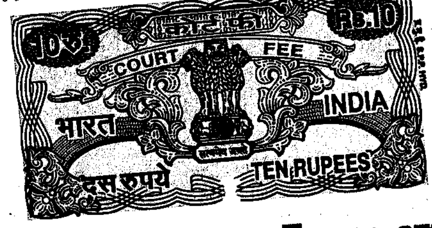

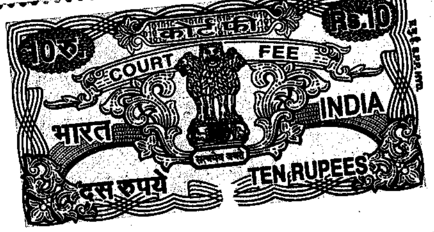

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक : ..../2015

निगरानी 2468-PBR-

श्रीमती किरण बोहर, वयस्क
पत्नि श्री बी. के. बोहरे
निवासी इण्डस गार्डन, भोपाल .... **प्रार्थी**

विरूद्ध

01. **मदन**, वयस्क, आत्मज श्री मोहन सिंह
निवासी ग्राम तारा सेवनिया,
कृषक ग्राम जोगीबर्री, तहसील हुजूर,
ज़िला भोपाल

02. **श्रीमती कला बाई** वयस्क
पत्नि स्व. श्री हजारीलाल,
निवासी गॉधी नगर, भोपाल

03. **मध्यप्रदेश शासन**
द्वारा कलेक्टर, भोपाल .... **प्रतिप्रार्थीगण**

श्री नीरज श्रीवास्तव
अभिभाषक द्वारा
आज दिनांक 21.7.15
को भोपाल कैम्प पर
प्रस्तुत।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.07.15 जो प्रकरण क्र. 79/अपील/08-09 (मदन विरूद्ध कला बाई) में न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित किया गया

अभिभावकों

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2468–पीबीआर / 15 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31–7–2015	आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–7–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि अनावेदक क्रमांक 2 के पति हजारीलाल की मृत्यु दिनांक 4–5–07 को हुई है जबकि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्री में मृत्यु दिनांक 4–5–05 बतलाई गई है । श्री ठाकुर के द्वारा जो जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें आवेदिका की रजिस्ट्री को संदिग्ध बताया है । जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	